संख्याः257/XXX–2/17/03(06)2013TC

प्रेषकः

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 04 ~~अगस्त~~ सितम्बर 2017

विषयः–उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 तथा संशोधित सेवा नियमावली, 2015 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन की अधिसूचना संख्या–1674/XXX(2)/2010 दिनांक 23.11.2010 एवं सख्या–264/XXX (2)/2015-3(6)/2012 दिनांक 17.08.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 तथा संशोधन नियमावली, 2015" प्रख्यापित की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या –240/XXX(2)/16-3(06)2012 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 के द्वारा कार्मिकों के सेवा संबंधी विभिन्न विषयों यथा शिथिलीकरण, स्थानापन्न पदोन्नतियों, सेवा नियमावली में एकरूपता लाने एवं सीधी भर्ती के विभिन्न पदों के पदोन्नति के सोपानों हेतु समान रूप से पात्रता अवधि निर्धारित किये जाने हेतु कामन नियमावली तैयार किये जाने आदि के विधिक, वित्तीय, व्यवहारिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार कर संस्तुति देने हेतु कार्मिक, वित्त एवं न्याय को सम्मिलित करते हुए समिति गठित की गयी है। समिति की संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर यथा प्रक्रिया निर्णय लिया जायेगा। प्रकरण में अंतिम निर्णय लिये जाने तक स्थानापन्न पदोन्नतियों व अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण को स्थगित रखा जायेगा।

अतः इस संबंध में प्रश्नगत प्रकरणों पर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या– /XXX-2/17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल एवं सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, कुमाँऊ एवं गढ़वाल मण्डल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0तिवारी)
अनु सचिव